बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक– वि॰प्रा॰(III)ब[3] –14/2016– /पटना, दिनांक–

प्रेषक,

अतुल सिन्हा,
निदेशक,

सेवा में,

प्राचार्य,
सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीतामढ़ी

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम बजट "मुख्य शीर्ष –2203–तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष– 112– इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या– 43, उपशीर्ष –0101– स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम" विपत्र कोड 43–2203001120101 के अधीन द्वितीय एवं अंतिम किस्त का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1497, दिनांक 28.06.2017 के द्वारा विभागान्तर्गत सीतामढ़ी प्रौद्योगिकी संस्थान, सीतामढ़ी में स्कीम मद के अधीन सृजित 64 (चौंसठ) शैक्षणिक एवं 75 (पचहतर) गैर शैक्षणिक पदों का वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यरत बल के आधार पर कुल रू॰ 89,77,000=00 (नवासी लाख सतहतर हजार रूपये) मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर अवधि विस्तार की स्वीकृति एवं राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017–18 में निर्गत आवंटनादेश संख्या–08(आ), दिनांक 26.05.2017 के क्रम में विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन वेतन एवं भत्ते सहित अन्य विषयशीर्षो में उपबंधित राशि से 31 मार्च 2018 तक नियमानुसार व्यय हेतु उक्त संस्थान को द्वितीय एव अंतिम किस्त के रूप में कुल रू॰ 60,12,000=00 (साठ लाख बारह हजार रूपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है :–

विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	मद का नाम	आवंटित राशि (रूपये में)
1	2	3	4
01–वेतन	01	वेतन	777000
	02	विशेष वेतन	18000
	03	जीवन यापन भत्ता	1879000
	04	मकान किराया भत्ता	160000
	06	चिकित्सा भत्ता	8000
		योग–01–वेतन	**2842000**
11–यात्रा व्यय	01	यात्रा व्यय	20000
13–कार्यालय व्यय	01	कार्यालय व्यय	70000
	03	दूरभाष	10000
	06	वर्दी/पोशाक	5000
21–सामग्री एवं पूर्तियॉ	01	सामग्री एवं पूर्तियॉ	25000
27–लघु कार्य	01	लघु कार्य	25000
	02	अनुरक्षण एवं मरम्मत	15000
28–व्यावसायिक सेवाएं	02	संविदा सेवाएं	3000000
		कुल योग	**6012000**

(क)

(क) साठ लाख बारह हजार रूपये मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–2561/वि(2) दिनांक 17.04.1998, पत्रांक–428, दिनांक 31.03.2017 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव, उक्त परिपत्र तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा– निदेशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि से न्यायालय से आच्छादित किसी भी तरह के मामलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जा सकेगा।

4. उक्त आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार एवं मितव्ययिता के आधार पर किया जायेगा।

5. उक्त आवंटित राशि का दूसरे अन्य विषयशीर्षो में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय। यदि किसी विषयशीर्ष में राशि का व्यय संभावित न हो तो उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

6. विभिन्न विषयशीर्षो मे राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षो के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

7. स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक–280/वि(2), दिनांक 29.03.2003 मे अंकित दिशा–निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

8. टी० भी० नं० एवं तिथि सहित व्यय–विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

9. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह०/ –
(अतुल सिन्हा)
निदेशक

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III)ब^{3} –14/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
निदेशक

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III)ब^{3} –14/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
निदेशक

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III)ब^{3} –14/2016– 24 /पटना, दिनांक– 19-7-017

प्रतिलिपि– उप निदेशक (यो०)/ योजना सहायक/आई०टी० मैनेजर (ई–मेल एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.07.17
निदेशक

14/7/17